

तारीख  
हुक्म

केलाशचन्द्र  
पुन - 52/25  
बनाम अरत लाल  
किरम - 212

02/8/25 को द्वारा न्यायिक कार्य का स्वयंसेवक  
रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका।  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26.09.25 को पेश हो

26/9/25 पीठासीन अधिकारी शत्रु राष्ट्र कार्य में  
व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली  
पूर्वानुसार दिनांक 14/11/25 को पेश हो।

14.11.25 पत्रावली पेश हुई परकारान को  
पार-2 भाषाज दिलवाई गई। उक्त पत्र अग्रस्थित  
है। इससे स्पष्ट है कि परकारान पत्रावली में  
कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए  
पत्रावली पार्श्व की अदम हाजरी व अदम पेंरकी में  
स्वीकार्य की जाती है। पत्रावली में दिनांक  
09.06.25 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधका  
के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली  
फैसल शुभार होकर दाखिल इफ्तार हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)